71

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश मुख्यालय ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निग./टीकमगढ/भू.रा./2018/

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू०रा०/2018/01128

मनोज कुमार राय तनय श्री द्वारका प्रसाद राय, निवासी – निवाडी, जिला टीकमगढ़ (म0प्र0) —— आवेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 13.2.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 22.2.18 नियत।
13.2.18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

मध्यप्रदेश शासन —— अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध माननीय अपर आयुक्त महोदय, सागर संभाग, जिला सागर द्वारा प्रकरण कमांक 356/अ–68/15–16 में पारित आदेश दिनांक 14.12.2017

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/टीकमगढ/भू.रा./2018/1128 **जिला** - टीकमगढ

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील समयावधि बाहय प्रस्तुत की गई है एवं अपील विलंब से प्रस्तुत करने का कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण नहीं बताये जाने के कारण अपील को निरस्त किया है। इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील विलंब से पेश किए जाने के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण नहीं दिए हैं। दर्शित परिस्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	